

झारखण्ड सरकार
 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
 (मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-मणि0-II-उयो0-53/2017-18/12रा०(किटा०) /मत्स्य, रौची, दिनांक 06/16/2019
 प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.
 सरकार के सचिव

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा:-

विषय-

महालेखाकार.

झारखण्ड, रौची।

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनांतर्गत मत्स्य विपणन योजना के तहत बजट शीर्ष 2405-मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि मो0 150.00 लाख रु0 मात्र के अधीन मो0 149.988 लाख (एक करोड़ उन्चास लाख अन्ठानवे हजार आठ सौ) रु0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं0-49 रा० (विभाग) दिनांक 04.12.2018 तथा ऑनलाइन राज्यादेश सं0 1607 दिनांक 04.12.2018 तथा राज्यादेश सं0-66 रा० (विभाग) दिनांक 08.03.2019 तथा ऑनलाइन राज्यादेश सं0 2380 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट शीर्ष -2405-मछली पालन अन्तर्गत कुल मो0 149.988 लाख (एक करोड़ उन्चास लाख अन्ठानवे हजार आठ सौ) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में मत्स्य विपणन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य विक्रेताओं को चिन्हित कर हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के विपणन हेतु उपकरण एवं विपणन/परिवहन इकाई के रूप में अनुदान पर मोबाइल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल, एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान तथा CIFT द्वारा अनुशंसित तकनीक के क्रियान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की योजना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यग्य एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :

माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन(राशि लाख रु0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S240500101500323	76.55	76.55	0.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप	20.48	20.468	0.012

[Signature]

1

[Signature]

	शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S240500789500323			
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S240500796500323	52.97	52.97	0.00
	योग :	150.00	149.988	0.012

मो⁰ एक करोड़ उन्चास लाख अन्ठानवे हजार आठ सौ रु० मात्र।

3. इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मछली बेचने वाले मत्स्य विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडिशन में मछलियों के प्रसंस्करण/विपणन/परिवहन इकाई हेतु अनुदान पर आवश्यकता अनुसार मोबाइल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण दिए जायेगे। इसके अतिरिक्त एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान तथा CIFT द्वारा अनुशासित तकनीक के क्रियान्वयन हेतु राशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान करिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तर पर इस प्रयोजनार्थ एक कमिटी गठित की जायेगी जिसमें विभाग स्तर के एक पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में होंगे। उक्त कमिटी द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी से प्राप्त/अनुशासित स्वीकृति प्रदान की जायेगी। खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को दिये जाने वाले उपकरणों का मॉडल अनुमोदन भी इस कमिटी द्वारा ही किया जायेगा।

5. इस योजना के तहत अनुदान पर दिये जाने वाले ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल, मोबाइल फिश रिटेलिंग कियोस्क इत्यादि के दर में एकरूपता के लिए दर का निर्धारण निदेशक, मत्स्य के द्वारा नियमानुसार “इच्छा की अभिव्यक्ति” के माध्यम से किया जायेगा। निर्धारित दर के आलोक में पूरे राज्य में क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

6. (क) शहरी क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं/ज्ञास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु मोबाइल फिश रिटेलिंग कियोस्क (लगभग 3-4 टन क्षमता के पिक-अप वैन के ऊपर फैब्रिकेटेड) दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो⁰ 10.00 लाख रु० मात्र होगा। इसमें विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत होगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा।

(ख) मत्स्य विक्रेताओं/ज्ञास्कोफिश को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु ऑटो-रिक्शा (लगभग 1.0 टन क्षमता) एवं ई-रिक्शा (लगभग 400-500 कि० ग्रा० क्षमता) अनुदान पर दिया जायेगा।

प्रति ऑटो-रिक्शा में विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 60 प्रतिशत अथवा 1.80 लाख रु० (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। शेष राशि का भुगतान लाभुक के द्वारा किया जायेगा।

प्रति ई-रिक्शा विभागीय अनुदान निर्धारित दर का अधिकतम 80 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.60 लाख रु० (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। ई-रिक्शा में रिमॉडलिंग के व्यय सहित शेष राशि लाभुक के द्वारा भुगतान

किया जायेगा। विपणन हेतु अनुदान पर दिये जाने वाले सभी वाहनों के निबंधन एवं ब्रैमा का व्ययभार लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। ~~विक्रेता द्वारा उपकरणों का चयन लाभुक को निबंधन एवं ब्रैमा का व्ययभार लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।~~ (ग) शहरी क्षेत्र के (प्रखण्ड स्तर तक) मत्स्य विक्रेताओं को उनकी आवश्यकतानुसार मत्स्य विपणन हेतु स्टॉल दिया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य मो 40,000/-रु मात्र होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग कोटि के लाभुक का अंशदान कुल लागत में 5 प्रतिशत तथा अन्य कोटि के लाभुकों का 10 प्रतिशत होगा।

(घ) खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को अधिकतम 5,000/-रु मूल्य के उपकरण अनुदान पर देय होंगे जिनमें लाभुक का अंशदान 5 प्रतिशत होगा।

(ङ.) एकवेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची द्वारा यथा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित कमिटि से लाभुकों का चयन कराते हुए प्रति लाभुक अधिकतम मो 1.00 लाख रु 0 का उपकरणों के रूप में अनुदान कुल 6 लाभुकों के रंगीन मछली/एकवेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा जिसपर विभागीय योजना का नाम अवश्य अंकित किया जाएगा। शेष मो 4.00 लाख रु 0 मात्र का उपयोग सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र, राँची में कॉमन फैसिलिटि सेन्टर की साज-सज्जा के लिए किया जाएगा।

(च) CIFT द्वारा अनुशंसित तकनीक के क्रियान्वयन एवं प्रदर्शन-प्रशिक्षण हेतु राशि मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची द्वारा व्यय की जाएगी। इसकी कार्य योजना का अनुमोदन यथा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित कमिटि से कराया जाएगा।

7. सुधोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. मोबाईल फिश रिटेलिंग कियोस्क, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, स्टॉल एवं विपणन हेतु अन्य आवश्यक उपकरण के लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे -

- (i) जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
- (ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
- (iii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
- (iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
- (vi) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। साथ ही चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. उपर्युक्त कंडिका-7 के मत्स्य लाभुकों/विक्रेताओं का चयन निम्न आधार पर किया जाएगा-

- (i) संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदित किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।
- (ii) आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।

- (iii) आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।
- (iv) आवेदक मत्स्य विषणु कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।
- (vi) आवेदक महिला समूह का सदस्य हो अथवा महिला समूह द्वारा आवेदन किया गया हो।

उपर्युक्त किसी कोटि से आच्छादित आवेदक, आवेदन देने हेतु योग्य होगा बशर्ते अपने अंशदान की राशि लगाने में सक्षम हो।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने जिले के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के कमांक एवं विभाग तथा योजना का नाम को स्टॉल तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से स्टॉल/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

11. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III' के रूप में संलग्न है। जिलावार भौतिक लक्ष्यों में आंशिक परिवर्तन निदेशक मत्स्य के प्रस्ताव पर विभागीय सचिव द्वारा किया जा सकेगा।

12. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'I', 'II' एवं 'III') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अन्तर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

13. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

14. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा।

15. इस योजना का विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराने की जवाबदेही निदेशक, मत्स्य की होगी।

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार सहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।


17. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

18. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

19. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत बजट मो0 400.00 लाख में से मो0 357.26 लाख ₹0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

20. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है। दो मछली बाजारों के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दुमका तथा देवघर को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है।

21. विषयगत् योजना अंतर्गत सामग्रियों के क्षय में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

 (पूजा सिंहल)

सरकार के सचिव


ज्ञापांक १२०(विभाग)
 मत्स्य / रॉची, दिनांक ०६/६/२०१९

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के सचिव


ज्ञापांक १२०(विभाग)
 मत्स्य / रॉची, दिनांक ०६/६/२०१९

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के सचिव


ज्ञापांक १२०(विभाग)
 मत्स्य / रॉची, दिनांक ०६/६/२०१९

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के सचिव

ज्ञापांक १२०(विभाग)
 मत्स्य / रॉची, दिनांक ०६/६/२०१९

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


 सरकार के सचिव

02-05-2019 fm



परिशिष्ट ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मत्स्य विष्णन योजना अंतर्गत लघु शीर्ष-101-उत्तरदैशीय मछली-पालन में बिलावर भौतिक लक्ष्य (स० मे) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु मे)

क्र.	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछला पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विष्णन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्या-23-बापृति एवं सामग्री												फुट वित्तीय लक्ष्य
		मोबाइल फ़िल्म रिटेलिंग किसीको हेतु अनुदान (60%)	अंटो-रिक्षा के लिये अनुदान (60%)	मछली परिवहन हेतु ई-रिक्षा के लिये अनुदान (80%)	एक्स्ट्रीम शॉप/रिगिन उपकरण हेतु अनुदान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान	मत्स्य विष्णन एक्स्ट्रीम शॉप/रिगिन उपकरण हेतु अनुदान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान	मत्स्य विष्णन एक्स्ट्रीम शॉप/रिगिन उपकरण हेतु अनुदान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की संख्या	खुदरा मत्स्य विक्रेताओं की संख्या	CIFT द्वारा अनुशासित उपकरण	वित्तीय लक्ष्य			
भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	हंजारीबाग	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	3	1.14	5	0.2375	4.7775
2	रामगढ़	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	3	1.14	5	0.2375	0.0000
3	कोडरमा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	3.1775
4	बोकारो	1	6.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000
5	धनबाद	1	6.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	8.5975
6	चतरा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000
7	गिरिडीह	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000
8	देवधर	1	6.00	2	3.60	2	3.20	0	0.00	10	3.80	21	0.9975	17.5975
9	गोड्डा	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000
10	पलामू	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	4.3975
11	गढवा	0	0.00	1	1.80	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000
12	मोकेप्रोकेन्द्र, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.76	5	0.2375	0.0000
13	झुरुंधान, राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.0000	2.7975
उप योग		3	18.00	9	16.20	8	12.80	4	4.00	32	12.16	71	3.3725	10.0170
														76.550

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवर्दन नहीं समझें।

(कुल नोंद छिह्नतर लाख पचपन हजार रु मात्र)

(एसा सिंघल)
सरकार के सोचेव

मुख्य शीर्ष-२४०५-मध्यवर्ती पालन-उप शीर्ष-५०-मत्स्य विषणन योजना-विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक अप-२३-आगृहि एवं सामग्री

क्र०	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-२४०५-मध्यवर्ती पालन-उप शीर्ष-५०-मत्स्य विषणन योजना-विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक अप-२३-आगृहि एवं सामग्री												कुल वित्तीय	
		मोलाइट फिल्टरिंग नियोजक हेतु अनुदान	माल्टी परिवहन लेन्ड आटो-रिक्षा के लिये अनुदान (60%)	माल्टी परिवहन लेन्ड इ-रिक्षा के लिये अनुदान (80%)	एक्सेसिप्प-योग्य/स्लीट मझी उकान सज्जा - उपकरण हेतु अनुदान (80%)	एक्सेसिप्प-योग्य/स्लीट स्टोल/ठेला के लिये अनुदान	निकेताओं की संख्या मत्स्य विक्रेताओं को अनुदान पर उपकरण हेतु राशि	CIFT द्वारा अनुशासित तकनीक के क्रियान्वयन							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रोची	1	6.00	2	3.60	1	1.60	0	0.00	3	1.140	8	0.380	0.000	12.720
2	खुंटी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.998
3	गुमला	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238
4	सिमड़ीगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.998
6	लातेहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.238
7	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	2	0.760	6	0.285	0.000	2.645
8	चार्चाबासा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.238
9	सरपकेता	0	0.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	4.398
10	दुमका	1	6.00	1	1.80	1	1.60	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	10.398
11	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	1	1.60	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	1.838
12	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	5	0.238	0.000	0.998
13	पान्डु	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.760	5	0.238	0.000	0.238
14	मार्कियांगोन्हर,	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000	0	0.000	10.032	10.032
15	अनुसंधान, रोची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	6.00	0	0.000	0	0.000	6.000	52.970
	उप योग	2	12.00	4	7.20	5	8.00	6	6.00	17	6.460	69	3.2775	10.032	
															(कुल मो० बाजन लाख संतानदे हजार ₹० मात्र)

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवान्त नहीं समझें।


सरकार के साचेव

क्र०	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-२४४५-मछली पालन-उप शीर्ष-५०-मत्त्य विषयन योजना-विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय-२३-आपूर्ति एवं समग्री						कुल वितीय लक्ष्य					
		मछली परिवहन हेतु आटो-रिस्या के लिये अनुदान (६०%)	मछली परिवहन हेतु ई-रिस्या के लिये अनुदान (४०%)	मत्त्य विषयन रस्ते/रेला के लिये अनुदान सुदूर मत्त्य विकेताओं की अनुदान पर उपकरण	भौतिक	वितीय	भौतिक	वितीय	भौतिक	वितीय	भौतिक	वितीय	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	राँची	०	०.००	१	१.६०	०	०.००	०	०.४७५	२.०७५	०.०००	३.४००	१.८००
२	खंडी	१	१.८०	१	१.६०	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
३	गुमला	१	१.८०	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
४	सिमडेगा	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००
५	लोहरदगा	०	०.००	०	०.००	१	१.६०	०	०.००	५	०.२३८	१.८३८	०.६१८
६	पटामू	०	०.००	१	१.६०	०	०.००	३	०.१४३	१.७४३	०.२३८	०.२३८	१.८००
७	लातहार	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	५	०.२३८	०.२३८	१.८००
८	गढ़वा	०	०.००	१	१.६०	०	०.००	०	०.०००	०	०.०००	०.०००	०.०००
९	जमशेदपुर	०	०.००	०	०.००	०	०.००	५	०.२३८	०.२३८	०.२३८	०.२३८	१.८००
१०	चाहिबासा	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.२३८	०.२३८	०.२३८	१.८००
११	सरपकेला	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.६००
१२	हजारीबाग	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.२३८	०.२३८	०.२३८	१.८००
१३	रामगढ़	०	०.००	१	१.६०	०	०.००	०	०.०००	०	०.०००	०.०००	१.८००
१४	कोइरामा	१	१.८०	०	०.००	१	०.३८	५	०.२३८	२.४१८	०.२३८	०.२३८	१.८००
१५	बोकारो	१	१.८०	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.२३८	०.२३८	०.२३८	१.८००
१६	धनबाद	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
१७	चतरा	१	१.८०	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
१८	मिरिही	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
१९	देवधर	०	०.००	०	०.००	१	०.३८	६	०.२३५	०.२३५	०.०००	०.०००	१.८००
२०	दुमका	०	०.००	०	०.००	०	०.००	५	०.२३८	०.२३८	०.२३८	०.२३८	१.८००
२१	जामताड़ा	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
२२	सहिबगंज	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
२३	पापुड़	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
२४	गोइडा	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.०००	०.०००	०.०००	०.०००	१.८००
	कुल योगा	५	९.००	५	८.००	३	१.१४	४९	२.३२४	२०.४६८			

नोट - वितीय लक्ष्य को आठवां नहीं समझें।

(कुल मो० बीस लाख छियालिस हजार आठ सौ रु० मात्र)

(सुना सिंहल)
सरकार के सामंज